



भिलाई
Bhilai

EXPRESSION OF INTEREST

राख एक सार्वभौमिक निर्माण सामग्री! निःशुल्क उपलब्ध

PP-II Dyke

राख का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जा सकता है:

पलाई ऐश के ईट/ब्लाक/टाइल बनाने में	खदानों की भराई में एवं खदानों की डंप में।
सीमेंट/एसवेस्टस की चादर बनाने में।	बाँध बनाने, भराई तथा भूमि के विकास में।
सड़क निर्माण में।	क्ले एवं राख से ईट बनाने में।

पारंपरिक ईटों की तुलना में राख निर्मित ईटों में बेहतर दबाव सामर्थ्य होता है ये ईटों में हल्की होती है जिससे कि ढांचे पर कम दबाव पड़ता है। राख निर्मित ईटों के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी का संरक्षक होता है। इसी प्रकार सड़के एवं पलाई ओवर के तटबंध संनिर्माण तथा सड़क का निचला आधा बनाने में राख का उपयोग किया जा सकता है।

गढ़दों के समतलीकरण, भराव एवं तटबंध निर्माण में मिट्टी के बजाय कोयला राख का उपयोग संभव है तथा इसके उपयोग से निम्न लाभ है।

- * मिट्टी की अपेक्षा कम घनत्व, दुर्बल/चिकन मिट्टी में भी लाभकारी तथा कम लागत।
- * मिट्टी की तुलना में कम प्रतिस्थापन तथा स्थिरता के बाद कालान्तर में नगण्य प्रतिस्थापन।
- * तेजी से जल विकास की सुविधा तथा अधिक नमी/वर्षा ऋतु में भी निर्माण संभव।
- * प्रबलित तटबंध निर्माण के लिए अनुकूल तथा उपजाऊ मिट्टी संरक्षण।

Pond Ash loading

भारत सरकार के राजपत्र संख्या 2804 नवंबर 03, 2009 के अनुसार कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के 100 किमी के अर्धव्यास में सभी प्रकार की निर्माण सामग्री में एवं पलाई ओवर संनिर्माण में खदानों की भराई एवं ओ. बी. डंप में (50 किमी के अर्धव्यास में) कोयला राख का उपयोग अनिवार्य है।

इच्छुक प्रयोक्ता/व्यक्ति/उद्यमी संपर्क करे
AHS & AU Deptt, NSPCL, Bhilai. Mo No-942534217